न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/63/2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. नगजीराम पिता दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. झमकूलाल पिता दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मु. उदी बेवा दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रामी पुत्री दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. पारस पुत्री दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. माधुलाल पिता चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. हजारीलाल पिता चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

   मृतक छोगालाल पिता चुन्नीलाल जाति जाट के बजाय–
8. रामेश्वरलाल पिता छोगालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. काशीराम पिता छोगालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. मु0 गंगाबाई विधवा छोगालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

– वादीगण

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत करजाली पंचायत समिति कपासन।

–प्रतिवादी

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 08.01.2026

–:निर्णयः–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1,2 जा0दी0 सपठित धारा 88–89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा विरोली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन के हल्के बेरुनी के हाल आ.चा. नं. 516 रकबा 0.02 हैक्टर स्थित है जिसके साबिक आ. चाह. नं. 403/1 रकबा 5 बिस्वा स्थित थे।

यह कि साबिक रकबा के अनुसार हाल रकबा 0.05 हैक्टर वादीगण के नाम पर दर्ज होना चाहिये था लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गलती से हाल आ. नं. 517 जो कि आबादी दर्ज है उसमें वादीगण की आ0नं0 (आ. चाह) 516 का 0.03 हैक्टर रकबा दर्ज कर दिया है जो गलत है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

कि मौके पर वादीगण अपने चाह नं. 516 के पुराना रकबा के मुताबिक काबीज 0.05 हैक्टर पर काबिज है लेकिन उक्त आ.चाह का 0.03 हैक्टर रकबा आबादी में दर्ज कर दिया है नक्शा ट्रेस भी इसी अनुसार आ.नं. 517 का वादीगण की आ.चाह. नं. 516 में दर्शाया दिया है जो गलत है दुरस्ती योग्य है।

यह कि वादीगण की उक्त आ.चाह. नं. 516 का रकबा 0.03 हैक्टर रकबा प्रतिवादी ग्राम पंचायत आबादी ग्राम विरोली में दर्ज कर दिये जाने से एवं नक्षा ट्रेस भी उसी अनुसार दर्ज कर दिये जाने से प्रतिवादी सं० 1 ग्राम पंचायत बार–बार वादीगण का कब्जा हटाने की कोशिश करता है तथा वादीगण के आ.चाह. की ज़मीन में नाजायज काश्तामीर निर्माण करना चाहता है। जिससे रकबा एवं नक्षा ट्रेस में दुरस्ती कराया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी सं० 1 ग्राम पंचायत को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी रोका जाना आवश्यक है कि वो वादगण की आ.चाह. नं. 516 की जमीन पर किसी प्रकार से कोई काश्तामीर नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें तथा किसी प्रकार से कब्जा वादीगण का नहीं हटावें तथा वो स्वयं कब्जा करने की कोशिश नहीं करें। ऐसा न स्वयं करें न अपने नौकर एजेन्ट परिवार के सदस्य आदि से करावें।

यह कि यदि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो उनको कोई नुकसान नहीं है और यदि पाबन्द नहीं किया जाता है तो वादीगण को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में पूरी नहीं की जा सकेगी।

यह कि प्रतिवादी ने दिनांक 22/6/2009 को भी विवादीत आराजी पर वादीगण का कब्जा हटा कर उसका कब्जा करने की कोशिश की तथा कारतामीर करना चाहा जिससे वादीगण ने पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के तहत रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया। लेकिन फिर भी प्रतिवादी उक्त कृत्य करने पर आमादा है। जिससे वादीगण ने रेवेन्यू रेकार्ड की नकल प्राप्त की तथा उक्त नकलों से ध्यान हुआ कि वादीगण की आ.चाह. नं. 516 का 0.03 रकबा प्रतिवादी की आ.नं. 517 आबादी में दर्ज हो गया है । तथा नक्षा ट्रेस भी गलत बन गया है।

यह कि बिनाय दावा दिनांक 22/6/2009 को पैदा हुई एवं उसके पश्चात निरन्तर पैदा हो रही है।

अतः वादीगण की प्रार्थना है कि–

–बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कॉलम नं. 1 में वर्णित ग्राम विरोली पटवार हल्का करजाली की आराजी नं. चाह नं. 516 रकबा 0.02 का पुराना आ.चा. नं. 403/1 रकबा 5 बिस्वा था। जिससे साबिक रकबा के अनुसार हाल आ.नं. चाह नं. 516 का रकबा 0.02 हैक्टर के बजाय 0.05 हैक्टर दर्ज होना चाहिये। तथा हाल उक्त चाह नम्बर 516 का रकबा हाल आराजी नम्बर 517 में दर्ज हो गया है जो उक्त आराजी नम्बर 517 में 0.03 हैक्ट रकबा कमी करके हाल आराजी चाह नं. 516 में दर्ज किया जाने की डिक्री बक्षाई जावें। तथा चाह नं 516 का रकबा 0.05 रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज कराया जावें।

– बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की डिक्री बक्षाई जावें कि वो वादीगण के उक्त चाह की जमीन में किसी प्रकार से कब्जा करने की कोशिश नहीं करें तथा वादीगण का कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। ऐसा न स्वयं करें न अपने नौकर, एजेन्ट, परिवार के सदस्य आदि से करावें । तथा दौराने वादपत्र यदि प्रतिवादी वादीगण की चाह की जमीन में किसी प्रकार का निर्माण कर देवें तो पुनः उनके खर्च हटाया जाने की भी डिक्री बक्षाई जावें।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 01.06.2010 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में श्यामलाल व रामेश्वरलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–9 है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। साबिक आराजी संख्या 403/1 रकबा 5 बिस्वा का मिलान शीट से अवलोकन करने पर नवीन आराजी संख्या 516 रकबा 0.02 हैक्ट0 बने है, यह स्पष्ट है व वकील वादी द्वारा अपना शेष रकबा हाल आराजी संख्या 517 किस्म आबादी में दर्ज हो जाने का निवेदन किया है, जो कि तहसीलदार कपासन से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही मौका रिपोर्ट अवलोकन से साबिक आराजी नम्बर 405 रकबा 1 बीघा से हाल आराजी नम्बर 934/521 रकबा 0.13 व 935/689 रकबा 0.12 हैक्ट0 बने है अर्थात् कुल रकबा 0.22 हैक्ट0 के मुकाबले 0.25 हैक्ट0 दर्ज किया गया है। आबादी आराजीयात संख्या 517 का 0.03 हैक्ट0 रकबा आराजी नं0 934/521 में सम्मिलित कर लिया है इस प्रकार आबादी आराजी संख्या 517 की पूर्वी सीमा को कम कर उत्तरी सीमा में वृद्धि कर दी गई है इससे साबिक रेकार्ड के मुताबिक आराजी संख्या 517 की उत्तरी सीमा में 0.03 हैक्ट0 की कमी की जाकर इसे आराजी संख्या 516 के रकबे में दर्ज किया जाना तथा पूर्वी सीमा में 0.03 हैक्ट0 की वृद्धि की जाकर आराजी संख्या 934/521 के रकबे में कमी किया जाना उचित होगा। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संलग्न दस्तावेजों व मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा विरोली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन के हल्के बेरुनी के हाल आराजी संख्या 517 रकबा 3.25 हैक्ट0 किस्म आबादी में से 0.03 हैक्ट0 संलग्न मौका रिपोर्ट में दर्शाये नक्शे अनुसार आराजी संख्या 516 से लगते हुए वादीगण के हिस्से दर्ज किया जाकर किस्म आ0 चा0 दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन
(फास्ट–ट्रेक) कपासन